झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची

प्रेस विज्ञप्ति

गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक (नियमित) नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–03/2023) के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक के विभिन्न पदों पर नियमित नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–03/2023) के कुल–771 रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार कार्यक्रम आयोग कार्यालय में दिनांक–18.09.2023 से दिनांक–24.09.2023 तक निर्धारित है। जिसकी विवरणी एवं आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

2. अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को Call Letter डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे।

3. औपबंधिक रूप से स्वीकृत अभ्यर्थी बुलावा पत्र (e-Call Letter) आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in से दिनांक–12.09.2023 से अपना रजिस्ट्रेशन नं0 एवं जन्म तिथि डालकर प्राप्त कर सकते हैं।

4. अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची (कारण सहित) आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

5. आयोग के वेबसाईट से e-Call Letter डाउनलोड नहीं होने की स्थिति में आयोग के हेल्पलाईन नं0–9431301419/9431301636 पर कार्यदिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।

6. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची।

गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों (नियमित) नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–03/2023) के संबंध में आवश्यक निर्देश।

1. अभ्यर्थी बुलावा पत्र में अंकित निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु पूर्वाह्न–09:30 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

2.अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 02 (दो) प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

(i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(ii) एम०बी०बी०एस० डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण सभी सेमेस्टर सहित)।
(iii) स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा यथा–एम0डी0, एम0एस0, डी0एन0बी0 अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री यथा–एम0सी0एच0,डी0एम0 की डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
(iv) चिकित्सकीय निबंधन प्रमाण पत्र।
(v) सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में नियमित/अनुबंध के आधार पर प्राप्त कार्यानुभव प्रमाण पत्र।
(vi) जाति निवासी प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)।
(vii) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (महिला क्षैतिज आरक्षण हेतु)।
(viii) निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
(ix) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)।
(x) दो पासपोर्ट साईज का रंगीन अद्यतन फोटोग्राफ।
(xi) पहचान पत्र (आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेंस)।

नोटः– (I) विज्ञापन की कंडिका–8 के अनुसार अनुसूचित जनजाति (ST)/अनुसूचित जाति (SC) कोटि के अभ्यर्थी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1361, दिनांक–03.03.2022 एवं पत्रांक–1754, दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–IV में एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I, पिछड़ा वर्ग–II कोटि के अभ्यर्थी पत्रांक–1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–XI (क्रीमीलेयर रहित)/जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में प्रपत्र–XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा तथा EWS कोटि के अभ्यर्थी संकल्प संख्या–1433 दिनांक–15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–I) में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(II) केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

3. अभिलेख सत्यापन हेतु कार्यक्रम जो आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है उसके आलोक में अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता निर्धारित की जायेगी।

4. अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयानुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।